नवोदय विद्यालय समिति
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
जयपुर सम्भाग – (राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली राज्य)
JAIPUR REGION - (RAJASTHAN, HARYANA & DELHI STATES)
शिक्षा मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organization of Ministry of Education, Department of School Education & Literacy
भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

Phone 0141- FAX 0141-
email: dcnvsrojpr@gmail.com, nvsjpracad@gmail.com

–क्षेत्रीय कार्यालय–
सेक्टर 05, शिप्रा पथ, मेट्रो मास हास्पिटल के पीछे, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) – 302020

-Regional Office-
Sec. 05, Shipra Path, Behind Metro Mas Hospital, Mansarovar, Jaipur (Rajasthan) - 302020

Web Site :
www.navodaya.gov.in
www.nvsrojpr.gov.in

फा-संख्या- 1-15/ न०वि०स०-ज० सं०(शै०)/ 2021.22/ १०५ दिनांक : 19.04.2021

प्रति

प्राचार्य ,

समस्त जवाहर नवोदय विद्यालय

अंतर्गत जयपुर सम्भाग

विषय : नवोदय विद्यालय समिति जयपुर सम्भांग के अंतर्गत कार्यरत विद्यालयों के संशोधित ग्रीष्मावकाश की सूचना बावत ।

संदर्भ : न.वि.समिति मुख्यालय पत्र संख्या F.No.7-2/2016-NVs(Acad)—dated 17.04.2021

महोदया / महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय ने संदर्भित पत्र द्वारा नवोदय विद्यालयो के लिये संशोधित ग्रीष्मावकाश कार्यक्रम एवम अध्यापकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु निर्देश जारी किये हैं। मुख्यालय द्वारा जारी पत्र संलग्न किया जा रहा है जो स्वयम मैं स्पष्ट है।

सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश सम्बंधी पत्र को अपने विद्यालय मैं परिचालित करे एवम निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

I. कक्षा 10 के विद्यार्थियों को घर भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि विद्यार्थियों ने अर्ध् वार्षिक , पूर्व परिषदीय परीक्षा एवम अन्य परीक्षा जो क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश पर किये गये हों , उनमे से सभी में या किन्ही दो में उपस्थित रहें हों एवं पास हुए हों |

II. यदि कुछ विद्यार्थियों ने उक्त परीक्षाएँ नहीं दीं हों या अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन्हे घर भेजने से पूर्व उनकी पुनः परीक्षा लेना सुनिश्चित करें |

III. यदि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अभिभावक अपने पाल्यों को घर ले जाने की ज़िद कर रहें हों तो उन्हे घर भेजा जा सकता है |

IV. कक्षा 12 के विद्यार्थियों को घर भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी विद्यार्थियों की प्रयोगिक परीक्षाएँ आंतरिक मूल्यांकन पूर्ण हों |यदि प्रयोगिक परीक्षा किसी विद्यालय में पूर्ण नहीं हुई हो तो विद्यार्थियों को घर नहीं भेजा जाए एवं परीक्षा कराने के बाद ही उन्हे घर भेजा जाए |

V. कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को घर भेजने से पूर्व उन्हे गृह कार्य देना सुनिश्चित करें एवं शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन गृह कार्य देना सुनिश्चित करें , प्राचार्य अपने पास उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें |

VI. प्राचार्य अपने विद्यालय में ग्रीष्मावकाश हेतु कक्षा 12 (सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों के लिए)एक समय सारिणी(Time –Table) तैयार करें जिसमे कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक दिन पूरे दिन भर के लिए एक विषय की ऑनलाइन कक्षा / टेस्ट आयोजित करने का प्रावधान हो | अध्यापकों को निर्देशित करें कि अवकाश के दौरान कक्षा 12 के विद्यार्थियों की कक्षाएं रोस्टर अनुसार लेना सुनिश्चित करें |

Scanned by CamScanner

VII. उपरोक्तातानुसार जो अध्यापक अवकाश के दौरान (while availing vacation)अपने गृह निवास से सत्र 2020-21 के कक्षा 12 के विद्यार्थियों की कक्षाएं लेंगे उन्हे नियमानुसार ड्यूटि पर उपस्थित मानते हुए , समानुपातिक अर्जित अवकाश देय होगा | यदि स्कूल के सभी विद्यार्थी अपने-अपने घर चलें जाते हैं एवं कुछ अध्यापक कैम्पस में रहते हुए सत्र 2020-21 के कक्षा 12 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करते हैं उन्हे भी ऑन ड्यूटि मानते हुए समानुपातिक अवकाश देय होगा प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य सभी ऑनलाइन कक्षाओं की मोनिट्रिंग करेंगे एवं इसका रिकॉर्ड भी संधारित करेंगे , जो भविष्य में ऑडिट के समय काम आएगा |

VIII. ग्रीष्मवकाश के दौरान ली जाने वाली कक्षाओं की समय सारिणी एवं ऑनलाइन लिंक संबन्धित संकुल प्रभारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजना सुनिश्चित करें , जिससे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी ऑनलाइन कक्षाओं की मोनिट्रिंग की जा सके |

IX. अनुबंधित अध्यापक जो कक्षा 12 (सत्र 2020-21)को पढ़ा रहें हैं वो भी अपने –अपने गृह निवास से ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे उन्हे यथानुपातिक आधार पर वेतन देय होगा |

X. परामर्शदाता, परामर्शदात्री अवकाश के दौरान विद्यालय परिसर में ही रहेंगे एवं विद्यालय में रहते हुए ही विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउन्सेलिंग करेंगे |

XI. F.C.S.A. अवकाश के दौरान विद्यालय में ही रहेंगे एवं विद्यालय में रहते हुए कार्यालयी कार्यों में मदद करेंगे |

XII. ग्रीष्मकालीन अवकाश में अध्यापकों के लिए आयोजित किये जाने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण में सभी नामित किये गए शिक्षको का भाग लिया जाना अनिवार्य है , सभी को इस आशय से अवगत जरा दिया जाए , इसके बदले उन्हे नियमानुसार अवकाश देय होगा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने पर समिति नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

XIII. कक्षा 12 के विद्यार्थियों के विद्यालय में रहने के दौरान कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के पूर्ण प्रबंध किये जावे.

XIV. जिन विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कक्षा 12 के विद्यार्थी रुके हुए है उन विद्यालयों में समिति के निर्देशानुसार पीजीटी तथा अन्य स्टाफ को रोस्टर बनाते हुए बारी-बारी से कार्य पर रखना सुनिश्चित करें , जिसके एवज में रोके गए अध्यापकों को समिति नियमानुसार समानुपातिक अर्जित अवकाश देय होगा |

XV. मुख्यालय पत्र संख्या F.No.7-2/2016-NVs(Acad)—dated 17.04.2021 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु Vacational स्टाफ को दिनांक 21.04.2021 से 09.06.2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्वीकृति प्रदान की गई है|

XVI. समिति द्वारा जारी पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ अनुपालना सुनिश्चित करें |

भवदीय

(एन के पटेल)
19.04.21
उपायुक्त

प्रतिलिपि : सभी संकुल प्रभारी सहायक आयुक्त को सूचनार्थ

Scanned by CamScanner